न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 43/2016
अनुवान शिवकुमार बनाम राजस्थान सरकार आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज.काश्तकारी अधिनियम
निर्णय दिनांक 25.02.2021

1. शिवकुमार पुत्र मुरलीधर जाति पाण्डिया निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. गायत्री देवी पत्नी शिवकुमार जाति पाण्डिया निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू
2. मोहरी पत्नी सुगना
3. रामेश्वर पुत्र सुगना
4. मुकनाराम पुत्र सुगना
5. केशुराम पुत्र सुगना
6. रूघाराम पुत्र सुगना
7. मानाराम पुत्र सुगना
8. गोपालराम पुत्र सुगना

जाति कुम्हार निवासीगण साजनसर तहसील सरदारशहर जिला चरू राजस्थान

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री कालीचरण शर्मा वास्ते प्रार्थी।
2. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 व 6।
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 08।
4. राज पैरोकार वास्ते अप्रार्थी संख्या 01 ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण का रोही साजनसर तहसील सरदारशहर में खेत ख0 नं0 9 तादादी 68 बीघा 4 बिश्वा में 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर कब्जा काश्तकारी का स्थित है।
अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 प्रार्थीगण के पश्चिमी पडौसी है जिनका खेत खसरा नं. 8 तादादी 53 बीघा 8 बिश्वा स्थित है और सभी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष अपने खसरा की भूमि का सीमांकन करवाने के लिए दिनांक 29.12.2014 को आवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने मूल आवेदन पर एल.आर. लिखकर अपने हस्ताक्षर कर एल. आर. शाखा प्रेषित करने के आदेश दिये। इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक : भू.अ. /141 दिनांक 31.12.2014 द्वारा मूल आवेदन पटवारी हल्का जीवणदेसर को निशानदेही बाबत अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाये जा सकने की रिपोर्ट दी। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान बाबत 200/–रूपये शुल्क जरिये चालान सं. 0006433750 दिनांक 01.06.2015 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारशहर द्वारा जमा करवा दिये गये।

दिनांक 01.04.2016 को अप्रार्थी सं. 1 के आदेशानुसार प्रार्थीगण को सूचित कर पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान की कार्यवाही करनी शुरू की जहां पर अप्रार्थीगण भी उपस्थित थे। मौके पर प्रार्थीगण की भूमि नाप करने के दौरान 10 गट्ठा भूमि कम पाई गई और खसरा नं. 9 की उतरी पूर्वी पर लगभग 10 गट्ठे का अतिक्रमण खसरा नं. 8 की तरफ पाया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो पाया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 को प्रार्थीगण एवं प्रार्थी शिवकुमार के पिता मुरलीधर ने समझाया कि आपने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है यह नाजायज है और अब आप हमारी जमीन को हमें सौंप दो तो अप्रार्थीगण ने कहा कि कुछ दिन में हटा लेंगे और एक माह का समय मांगा फिर चक्कर कटवाये और दिनांक 12.05.2016 को मानने से इनकार हो गये तो प्रार्थीगण दिनांक 13.05.2016 को अप्रार्थी सं0 1 के पास गये और प्रार्थीगण की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाकर भूमि का सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि इसके लिए आपको कोर्ट में कार्यवाही करनी पड़ेगी और हम कोर्ट के आदेश से ही आगे की कार्यवाही कर सकते हैं और कार्यवाही करने से मना कर दिया।

प्रार्थीगण अपने अधिकार व खातेदारी की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है और प्रार्थीगण की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाकर प्रार्थीगण को सीमाज्ञान कर सौंपी जाती है तो अप्रार्थीगण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ख0 नं0 9 तादादी 68 बीघा 4 बिश्वा में 1/2 हिस्सा साजनसर तहसील सरदारशहर खेत के राजस्व अनुसार भूमि का माप कर सीमाज्ञान करवाकर अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 का प्रार्थीगण की भूमि से 10 गट्ठा अतिक्रमण हटवाया जाकर प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक भूमि सुपुर्द करने के आदेश अप्रार्थी सं. 1 को प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सःशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 की तरफ से श्री महेन्द्र कुमार सींवर, एडवोकेट उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 01.05.2019 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 08 को कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त उपस्थित नहीं आये अतः इनके खिलाफ दिनांक 07.04.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। । अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 ने दिनांक 12.06.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ख0 नं0 9 की भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा भूमि रामनिवास पुत्र उदाराम जाति ब्राहमण निवासी बन्धनाउ उतरादा तहसील सरदारशहर की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पश्चिमी पड़ौसी खेत ख0 नं0 8 अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 का होना अंकित करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि ख0 नं0 8 का विभाजन अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 के मध्य हो चुका है। जिसका नामान्तरण सं0 588 दिनांक 01.06.2015 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो चुका है। मुताबिक खाता विभाजन ख0 नं0 8 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 4, 5 व 8 के हिस्से में आई है। जिसके नये ख0 नं0 410/8, 411/8 व 412/8 राजस्व रिकॉर्ड में कायम हो चुके हैं। प्रार्थीगण के खेत ख0 नं0 9 के पूर्वी तरफ चिपती भूमि अप्रार्थी सं0 4 व 5 के हिस्से में आई हुई है तथा अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया जा चुका है। ऐसी राजस्व रिकॉर्ड की

स्थिति विद्यमान होते हुए भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 तथा 7 ता 8 को बिना कारण ही पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाकर पक्षकारों को कुसंयोजन किया व असंयोजन किया गया हैं एवं ख0 नं0 9 की भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई अतिक्रमण नहीं है। अप्रार्थीगण की मौजूदगी में हल्का पटवारी द्वारा कभी नाप नहीं किया गया था। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण बाबत तथ्य आधारहीन अंकित किये गये होने से प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र की मद सं0 5 में वर्णित तथ्य को सरासर गलत अंकित किये जाने का हवाला देते हुए इन्हें अस्वीकार माना है क्योकि अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उनसे भूमि के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की गई। अप्रार्थीगण के खेत की सींवे धड़ाबन्द बनी हुई है। जो पूर्वजों के समय से बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा झूठी इनकारी दिनांक प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के दुराश्य से अंकित की गई होने से बिना आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में विशेष आपत्तियां दर्ज करवाई जिसके अनुसार ख0 नं0 9 की भूमि अविभाजित है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है एवं ख0 नं0 9 के चिपता ख0 नं0 8 अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 का होना अंकित करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि ख0 नं0 8 का विभाजन अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 के मध्य हो चुका है। जिसका नामान्तरण सं0 588 दिनांक 01.06.2015 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो चुका है। मुताबिक खाता विभाजन ख0 नं0 8 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 4, 5 व 8 के हिस्से में आई है। जिसके नये ख0 नं0 410/8, 411/8 व 412/8 राजस्व रिकॉर्ड में कायम हो चुके हैं। प्रार्थीगण के खेत ख0 नं0 9 के पूर्वी तरफ चिपती भूमि अप्रार्थी सं0 4 व 5 के हिस्से में आई हुई है तथा अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया जा चुका है। ऐसी राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति विद्यमान होते हुए भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 तथा 7 ता 8 को बिना कारण ही पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाकर पक्षकारों को कुसंयोजन किया व असंयोजन किया गया होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है।

ख0 नं0 8 की दस गंठा भूमि पर अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 का अतिक्रमण होना बताकर अतिक्रमण हटवाने बाबत हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि बेदखली के लिए राजस्व विधि में अन्य उपचार विद्यमान है। प्रार्थीगण को बेदखली बाबत विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था एवं प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थी सं0 1 राजस्थान राज्य को पक्षकार प्रार्थना पत्र संयोजित किया है। जबकि कानूनन प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 80 सीपीसी का नोटिस मियाद 60 दिवस का प्रस्तुत करना आवश्यक था। प्रार्थीगण ने दफा 80 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा ना ही दफा 80 (2) सीपीसी के तहत छूट चाही है। अतः अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 को प्रार्थीगण से प्रतिशोधात्मक व्यय दिलवाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण का रोही साजनसर तहसील सरदारशहर में खेत ख0 नं0 9 तादादी 68 बीघा 4 बिश्वा में 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर कब्जा काश्तकारी का स्थित है।
अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 प्रार्थीगण के पश्चिमी पडौसी है जिनका खेत खसरा नं. 8 तादादी 53 बीघा 8 बिश्वा स्थित है और सभी खातेदार काबिज काश्तकार है। दिनांक 29.12.2014 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष सीमाज्ञान के आवेदन के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2016 को विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 9 की उतरी पूर्वी पर लगभग 10 गट्ठे का अतिक्रमण खसरा नं. 8 की तरफ पाया गया जिसके कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाया, लेकिन प्रार्थी की भूमि मौके पर कम हैं इसका प्रमाणीकरण हो गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि यदि वर्तमान में मौके पर स्थित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा कायम की जाती है तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण इस हेतु सहमत नहीं होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 की भूमि में प्रार्थीगण 10 गट्ठा भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया जाकर प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक भूमि सुपुर्द करने के आदेश अप्रार्थी सं. 1 को प्रदान करें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया कि ख0 नं0 9 की भूमि अविभाजित है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी नहीं है एवं प्रार्थीगण के ख0 नं0 9 के चिपता ख0 नं0 8 अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 का होना अंकित करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि ख0 नं0 8 का विभाजन अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 के मध्य हो चुका है। जिसका नामान्तरण सं0 588 दिनांक 01.06.2015 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो चुका है। मुताबिक खाता विभाजन ख0 नं0 8 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 4, 5 व 8 के हिस्से में आई है। जिसके नये ख0 नं0 410/8, 411/8 व 412/8 राजस्व रिकॉर्ड में कायम हो चुके हैं। प्रार्थीगण के खेत ख0 नं0 9 के पूर्वी तरफ चिपती भूमि अप्रार्थी सं0 4 व 5 के हिस्से में आई हुई है तथा अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा शेष अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाकर पक्षकारों का कुसंयोजन किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पुर्व अप्रार्थी संख्या 01 को न तो दफा 80 सीपीसी का नोटिस दिया हैं एवं न ही दफा 80(2) के तहत शिथिलन चाहा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारीज हैं। वकील अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही हैं एवं उन्होनें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा हैं। अतः अतः पत्थरगढ़ी की आवश्यकता नहीं है होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकुलाय फरीकैन की बहस में दिये गये तर्कों पर ध्यानपूर्वक गौर किया गया जिससे यह स्थिति सामने आई कि पटवारी द्वारा विवादित भूमि के सीमाज्ञान उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वी सीमा पर अप्रार्थीगण का खेत ख0न0 08 स्थित है एवं इसी खसरें की भूमि पर प्रार्थीगण की लगभग 10 गट्ठे भूमि का अतिक्रमण स्थित हैं। इस रिपोर्ट से प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीगण की भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कम है, हांलाकि अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 08 का विभाजन होने एवं उनके द्वारा

किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना भी जाहिर किया हैं लेकिन पूर्व में सीमाज्ञान हेतु गठित टीम की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योकि यदि इस रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण हैं एवं अप्रार्थीगण अनुसार उनकी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हैं, तो ऐसी दशा में पत्थरगढ़ी का विकल्प ही सर्वोतम साधन हैं जिसके द्वारा इस प्रकार के विवाद का निस्तारण संभव हैं। साथ ही राज पैरोकार ने प्रकरण में राज्यहित नहीं होना अंकित किया हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार सरदारशहर अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश दिये जाते हैं कि वह दक्ष पटवारियों एवं गिरदावरों की टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 09 तादादी 68 बीघा 04 बिश्वा एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के खेत खसरा नम्बर 8 तादादी 53 बीघा 08 बिश्वा रोही ग्राम साजनसर तहसील सरदारशहर की सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पैमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करावें। पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावें।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)